

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 2373

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, दिसम्बर 09 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 हैक्टर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। (FP/UK/Road/145990/2021)

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं० 292/12-1 दिनांक 01.07.2024

महोदय,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को वापस किया गया है जो निम्नानुसार है:-

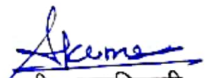
क्र. सं.	प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा चाही गयी सूचना	आख्या
1.	प्रस्ताव दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है प्रस्ताव की एक अतिरिक्त हार्ड प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।	प्रस्ताव में सभी प्रमाण पत्रों को क्रमवार विषयसूची तैयार कर प्रस्ताव पर संलग्न कर दी गई है, तथा प्रस्ताव की तीन प्रतियां संलग्न की जा रही है।
2.	प्रस्ताव में सभी प्रपत्र/प्रमाण पत्रों को क्रमवार यथास्थान विषयसूची तैयार कर संलग्न की जानी है।	प्रस्ताव में सभी प्रमाण पत्रों को क्रमवार विषयसूची तैयार कर प्रस्ताव पर संलग्न कर दी गई है।
3.	बिन्दु सं०-3 भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, भाग 2 तथा भाग-3 में सभी बिन्दुओं पर सूचना अंकित कर प्रस्ताव के प्रारम्भ में क्रमवार संलग्न करने का कष्ट करे।	बिन्दु सं०-3 भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, भाग-2 एवं भाग-3 में सभी बिन्दुओं पर सूचना अंकित कर प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के अंतिम पेज में संलग्न कर दिया गया है।
4.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।	
	In respect of linear project the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans whichever is more should be charge from the user agency	wildlife management plan and soil and moisture conservation plan संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
	The provisions of wildlife management plan and soil moisture conservation plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly the deficit amount if any from the money already realized from to the tune of 2% and/or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved shall be paid by the user agency and the same shall be deposited in to the CAMPA account.	
5.	प्रस्ताव में existing road से लाभान्वित होने वाले गांव की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
6.	प्रस्तावित परियोजना में अत्यधिक वृक्षों का पातन निहित है। वृक्षों की संख्या को न्यूनतम को सीमित किया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में न्यूनतम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
7.	प्रमुख वन संरक्षक (HoEF) द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का तकनीकी एवं सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये ताकि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपनी पूर्ण संस्तुति सहित SIR के साथ प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑनलाईन पार्ट-11 में यथारथान अपलोड की जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।



8.	प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।	मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
9.	प्रभागीय वनाधिकारी की एस0आई0आर0 में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुये SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करे।	एस0आई0आर0 में प्रस्ताव का नाम शामिल करते हुए एस0आई0आर संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल में अपलोड कर प्रस्ताव में भी संलग्न कर दिया गया है।
10.	प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शपथ पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
11.	के0एम0एल0 फाईल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास भी मौजूदा सड़कों को चिह्नित किया जाय। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग-अलग रंगों से चिह्नित किया जाय।	के0एम0एल0 फाईल पर लाभान्वित गांव के पास सड़कों को चिह्नित कर दिया गया है और मौजूदा सड़कों को अलग रंगों से दर्शा दिया गया है।
12.	डम्पिंग यार्ड को जनोपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
13.	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाय कि वह Stabilized हो जाये, ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
14.	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमेटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।	उक्त दिये गये निर्देश/सुझाव का वृक्षारोपण/पौध रोपण करते समय अनुपालन किया जायेगा।
15.	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जायेगा। ये पौधों की जड़ों पर उगत हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	उक्त दिये गये निर्देश/सुझाव का अनुपालन किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

भवदीय,

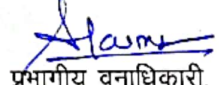


प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 2373 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, धराली को उपरोक्तनुसार सूचनार्थ प्रेषित।



प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

6/11